भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार
चौथी मंज़िल, एनसीयूआई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज़ खास,
नई दिल्ली - 110016, दूरभाष: - 49536496, 49092978

Warehousing Development and Regulatory Authority
Government of India
4th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

फा. सं. जी-22017/1/2026-प्रशा. एवं वि./904 दिनांक : 07.07.2026

सूचना

विषय: पुरानी प्रतिभूति जमा राशियों के संबंध में दावों को आमंत्रित करने के संबंध में।

लेखों के मिलान के दौरान यह पाया गया है कि 31 मार्च, 2021 से पूर्व भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिभूति जमा राशियाँ पूर्ण अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अब तक चिन्हित नहीं की जा सकी हैं।

अतः ऐसे भंडारपालों, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 से पूर्व डब्ल्यूडीआरए के पास प्रतिभूति जमा राशि जमा की थी तथा जिन्हें, अन्यथा पात्र होने के बावजूद, वह वापस प्राप्त नहीं हुई है, से अनुरोध है कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों सहित अपना दावा प्रस्तुत करें। डब्ल्यूडीआरए के पास जमा की गई प्रतिभूति राशि की वापसी की पात्रता भंडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगी।

दावे के साथ, यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएँ—

1. प्रतिभूति जमा रसीद/चालान अथवा जमा का कोई अन्य प्रमाण।
2. दावेदार का नाम एवं पता।
3. भांडागार का विवरण तथा भांडागार संख्या।
4. यदि दावा स्वीकार्य पाया जाता है, धनवापसी हेतु बैंक खाते का विवरण (रद्द किया गया चेक/बैंक पासबुक की प्रति)।
5. दावे के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

दावा, आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **90 दिनों** के भीतर निम्नलिखित पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए—

उप सचिव (प्रशासन एवं वित्त)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए)
चौथी मंजिल, एनसीयूआई भवन,
3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली – 110016

भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दावे सीलबंद लिफाफे में जिस पर निम्नलिखित लिखे गए सहित भेजे जाएँ—

"प्रतिभूति जमा राशि की वापसी हेतु दावा"

दावे की पहचान एवं उसके शीघ्र निस्तारण को सुगम बनाने के लिए उक्त अंकन लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले अथवा पर्याप्त सहायक साक्ष्यों के बिना प्रस्तुत किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है तो, डब्ल्यूडीआरए दावा न की गई प्रतिभूति जमा राशियों के निस्तारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यह सूचना पुरानी लंबित प्रतिभूति जमा राशियों के समुचित लेखांकन एवं मिलान के हित में जारी की जाती है।

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार

मनीष जैन

(मनीष कुमार जैन)
अवर सचिव (प्रशासन एवं वित्त)

दिनांक : 07.07.2026
स्थान : नई दिल्ली